



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 104/2022 निर्णय दिनांक 24.05.2022

राधेश्याम बनाम दिनेश

[विस्तृत विवरण पृष्ठ पर अंकित है]

उपस्थित - वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण उपस्थित

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

(1) प्रार्थी/ प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRA में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रार्थीगण की निम्नांकित कृषि भूमि स्थित है -

क्र.सं.	नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा
1	कटार	2075-78	421	2051	0.05	2052	0.46	2053	0.45	2054	0.23
				2055	0.36	2056	0.08	2057	0.35	2058	0.31
				2059	0.35	2060	0.04	2061	0.13	2062	0.12
						2063	0.34	2063/2267	0.30		

(2) प्रार्थी/ प्रार्थीगण की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने की वजह से विपक्षीगण के बीच आये दिन विवाद होता रहता है तथा घास काटने और पेड़ों की कटाई छंगायी को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी की आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

(3) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/ अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी / अप्रार्थीगण के नाम की विधिवत रूप से आवाज लगवायी जाने पर उनके बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये हुये है / जारी किये जाते है। प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार / श्रवणाधिकार में स्थित है।

(4) पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया एवं पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी / प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः

क्रियात्मक- आदेश

प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित कृषि भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी / प्रार्थीगण की सहमति पर भू.अ.निरीक्षक दौलतगढ़ को 3300 .रू.-/ की फीस पर कमीशर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण से मौके पर कमीशर फीस जमा की जाकर इसका अंकन पालना रिपोर्ट में किया जावें। पत्थरगढी की कार्यवाही दिनांक से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पड़ोसी एवं खातेदारान को उक्त आराजियात की पत्थरगढी की जाने की लिखित सूचना जरिये पत्र समय एवं तिथि के अंकन के साथ दी जाना सुनिश्चित करें। प्रार्थी / प्रार्थीगणों की उक्त आराजियात की पत्थरगढी उभय पक्षकारान मौतवीरान की उपस्थिति में कब्जे की स्थिति को यथावत रखते / हुये मुश्तकिल बिन्दू को आधार मानते हुये की जावें। निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार आसीन्द को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को से इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला अजमेर

क्रमांक / रीडर / 2022/

दिनांक

प्रतिलिपी तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(सहायक कलक्टर (S.D.O.))
आसीन्द जिला अजमेर

क्र.सं.	पक्षकार का नाम	प्रार्थी / अप्रार्थी
1	राधेश्याम पुत्र पन्नालाल ब्राह्मण नि.कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	प्रार्थी
2	दिनेश पुत्र मदनलाल तिवाड़ी निवासी कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	अप्रार्थी
3	गेहरी पत्नि मदनलाल तिवाड़ी निवासी कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	- - -
4	लक्ष्मण पुत्र पुसा मोची निवासी कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	- - -
5	भंवरलाल पुत्र पुसा मोची निवासी कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	- - -
6	मूलचन्द पुत्र चान्दमल मोची नि.कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	- - -
7	कमला पत्नि नन्दलाल रेगर निवासी कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	- - -
8	पुष्पेन्द्र पुत्र नन्दलाल रेगर निवासी कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	- - -
9	पूरणमल पुत्र नन्दलाल रेगर निवासी कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	- - -
10	दौलाराम पुत्र रूपाराम मेघवाल निवासी कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	- - -
11	छगुदेवी पत्नि सोहननाथ निवासी कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	- - -
12	पप्पूनाथ पुत्र सोहननाथ निवासी कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	- - -
13	लक्ष्मणनाथ पुत्र सोहननाथ निवासी कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	- - -
14	मीठूनाथ पुत्र घीसानाथ निवासी कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	- - -
15	मोहनी पत्नि घीसानाथ निवासी कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	- - -
16	धर्मा पुत्र घीसानाथ निवासी कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	- - -
17	नाथूनाथ पुत्र घीसानाथ निवासी कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	- - -
18	शकुन्तलादेवी पत्नि दामोदर तिवाड़ी निवासी कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	- - -
19	कन्हैयालाल पुत्र दामोदर तिवाड़ी निवासी कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	- - -
20	नरेश पुत्र दामोदर तिवाड़ी निवासी कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	- - -
21	आशा पुत्री दामोदर तिवाड़ी निवासी कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	- - -
22	नीतू पुत्री दामोदर निवासी कटार तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा	- - -
23	तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा	- - -

सहायक कमिश्नर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा